



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

No. 410]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015.—जबकि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा.सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय)एफएसएसएआई-2015 तारीख 28 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य

उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) बारहवाँ संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये विनियम 1 मार्च, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.10 के उपविनियम 2.10.8 के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2.10.8 पैकेज बंद पेयजल (खनिज जल से भिन्न)

1. प्राकृतिक खनिज जल से भिन्न, ऐसा जल, जिसका मानव उपभोग के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना है और जो पैकेज के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पेश किया जाता है या विक्रय किया जाता है।

2. ऐसा जल, जो सतही या सिविल जल आपूर्ति अथवा भूमिगत जल या समुद्री जल या किसी अन्य स्थिर जल स्रोत से व्युत्पन्न किया जाता है, जिसका कि इसमें विनिर्दिष्ट उपचारों, जिनके अन्तर्गत निस्तारण, निस्स्यन्दन, निस्स्यन्दन का संयोजन, वातन, मेम्ब्रेन निस्स्यन्दक (फिल्टर) के साथ निस्स्यन्दन, अंतर्विस्तारित फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर, सक्रियित कार्बन निस्स्यन्दन, विखनिजीकरण, पुनः विखनिजीकरण, प्रतीप परासरण भी है, के अधीन उपचार किया जाए और जिसे रासायनिक कर्मकों या भौतिक पद्धतियों के माध्यम से उसमें से खाद्य सुरक्षा या उसकी संधार्यता के वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत स्तर से नीचे के स्तर तक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को कम करने के लिए उस स्तर तक विसंक्रमित करने के पश्चात्, जिस तक पेयजल में कोई हानिकारक संदूषण न हो, पैक किया जाता है।

परन्तु समुद्री जल का उपरोक्त उपचार किए जाने के पूर्व, उसका अपक्षारीकरण करने की तथा उससे संबंधित प्रक्रियाएं की जाएंगी।

3. इसे भिन्न-भिन्न संरचनाओं, रूपों और क्षमताओं वाले सीलबंद आधानों में, जो अतिरिक्त उपचार किए बिना सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त हों, भरा जाएगा। यदि पुनः खनिजीकरण उपचार प्रक्रिया का एक भाग है, तो उसमें प्रयुक्त संघटक खाद्य श्रेणी या भेषज श्रेणी की क्वालिटी के अनुरूप होंगे।

4. पैकेज बंद पेयजल, किन्हीं कल्कों, छितरे हुए कणों और बाह्य पदार्थ के बिना, स्वच्छ होगा। यह नीचे दी गई सारणी 1,2,3,4,5 और 6 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा।

सारणी 1 : सूक्ष्म जैवीय अपेक्षाएं

पैकेज बंद पेयजल निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा:

क्रम. सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कोलीफार्म बैक्टीरिया, सीएफयू/250 मि.लि.	अनुपस्थित
2.	फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सीएफयू/250 मि.लि.	अनुपस्थित

3.	सल्फेट अवायवीय अवचायक, सीएफयू/50 मि.लि.	अनुपस्थित
4.	सूडोमोनस ऐरुगिनोसा, सीएफयू/250 मि.लि.	अनुपस्थित
5.	वातापेक्षी (एअरोबिक) माइक्रोबाइल काउंट 72 घंटे में 20-20 ⁰ से. पर, सीएफयू/मि.लि., अधि.	100
	24 घंटे में 37± 1 ⁰ से. पर, सीएफयू/मि.लि., अधि.	20
6.	यीस्ट और फफूंद/250 मि.लि.	अनुपस्थित
7.	साल्मोनेला और शिजेल्ला, सीएफयू/250 मि.लि.	अनुपस्थित
8.	विब्रियो कोलरा और वी. पैराहीमोलाइटीकस, सीएफयू/250 मि.लि.	अनुपस्थित

सारणी 2 : आर्गेनोलेप्टिक और भौतिक पैरामीटर

क्रम. सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	रंग, वास्तविक रंग इकाइयां, अधि.	2
2.	गंध	रूचिकर, आईएस-3025 भाग 5 गंध के लिए
3.	स्वाद	रूचिकर [सक्रिय प्रवृत्ति मापमान (क) या (ख) या (ग)]
4.	आविलता, मिताई मलिनता इकाई (एनटीयू), अधि.	2
5.	सम्पूर्ण विलीन ठोस पदार्थ, मि.ग्रा./लि., अधि.	500
6.	पीएच	6.0-8.5

सारणी 3 : अत्यधिक मात्रा में अवांछनीय पदार्थों से सम्बन्धित साधारण पैरामीटर

क्रम. सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	बेरियम (बीए के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.7
2.	कॉपर (तांबा)(सीयू के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.05
3.	आयरन (लौह) (एफई के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.1
4.	मैंगनीज (एमएन के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.1
5.	नाइट्रेट (एनओ ₃ के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	45
6.	नाइट्राइट (एनओ ₂ के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.02
7.	फ्लुओराइड (एफ के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	1.0
8.	ज़िंक (जेडएन के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	5
9.	सिल्वर (एजी के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.01

10.	एल्युमिनियम (एएल के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.03
11.	क्लोराइड (सीएल के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	200
12.	सेलेनियम (एसई के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.01
13.	सल्फेट (एसओ ₄ के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	200
14.	एल्कालिनिटी (क्षारता) (एचसीओ ₃ के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	200
15.	कैल्शियम (सीए के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	75
16.	मैग्नीशियम (एमजी के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	30
17.	सोडियम (एनए के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	200
18.	अवशिष्ट मुक्त क्लोराइड, मि.ग्रा./लि., अधि.	0.2
19.	फैनोलिक कम्पाउंड (योगिक)(सी ₆ एच ₅ ओएच के रूप में)	अनुपस्थित
20.	खनिज तेल	अनुपस्थित
21.	अनिआनिक सतह सक्रिय कर्मक(एमबीएस के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.2
22.	सल्फाइड (एच ₂ एस के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.05
क्रम. सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
23.	एन्टीमोनी (एसबी के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.005
24.	बोरेट्स (बी के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	5
25.	ब्रोमेट्स (बीआरओ ₃ के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.01

सारणी 4 : विषैले पदार्थ से संबंधित पैरामीटर

क्रम. सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	पारा (एचजी के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.001
2.	कैडमियम (सीडी के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.003
3.	आर्सेनिक (एस के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.01
4.	साइनाइड (सीएन के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	अनुपस्थित
5.	सीसा (पीबी के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.01
6.	क्रोमियम (सीआर के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.05
7.	निकल (एनआई के रूप में), मि.ग्रा./लि., अधि.	0.02
8.	पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनॉयल (पीसीबी)	अनभिज्ञेय
9.	पोलीन्यूक्लीयर ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स	अनभिज्ञेय

सारणी 5 : रेडियो-धर्मी अवशिष्टों से संबंधित पैरामीटर

क्रम. सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	एल्फा उत्सर्जक(इमिटर्स), बेक्किरल (बीक्यू/लि.), अधि.	0.1
2.	बीटा उत्सर्जक, बेक्किरल (बीक्यूएल), अधि;	1

सारणी 6 : नाशकजीवमार (पेस्टीसाइड) अवशिष्टों से संबंधित सन्नियम

क्रम. सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	नाशकजीवमार अवशिष्ट, जिन पर अलग-अलग रूप में विचार किया गया है।	0.0001 मि.ग्रा./ लि. से अनधिक
2	कुल नाशकजीवमार अवशिष्ट	0.0005 मि.ग्रा./ लि. से अनधिक

6. उत्पाद, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अधीन यथा अधिकथित लेबलिंग की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./305]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसम्बर, 2014;
- (v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिशएंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी , 2016;
- (xiii) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट0 खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- (xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- (xv) फा. सं. 3-14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- (xvi) फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016
- (xvii) फा.सं. 1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016,
- (xviii) एफ.सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितम्बर, 2016;
- (xix) फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितम्बर, 2016;
- (xx) फा.सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर , 2016;
- (xxi) फा. सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016 और
- (xxii) फा. सं. मानक/एसपी(पानी एवं पेय)/अधि.(2)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2016

F. No.1-11(1)/Standards/SP(Water & Beverages)/FSSAI-2015.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No.1-11(1)/Standards/SP(Water & Beverages)/FSSAI-2015 dated the 28th April, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 09th May, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Twelfth Amendment Regulations, 2016
(2) These regulations shall come into force on or after 1st March, 2017.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 in regulation 2.10, for sub-regulation 2.10.8, the following shall be substituted, namely:-

“2.10.8 Packaged Drinking Water (other than Mineral Water)

1. Means water, other than natural mineral water that is likely to be used for human consumption and that is offered or sold in packaged form, by whatever name it may be called, offered or sold.
2. Water shall be derived from surface water or civic water supply or underground water or sea water or any other consistent source of water which may be subjected to herein under specified treatments, namely, decantation, filtration, combination of filtration, aerations, filtration with membrane filter depth filter, cartridge filter, activated carbon filtration, demineralization, remineralization, reverse osmosis and packed after disinfecting the water to a level that shall not lead to any adverse effect in the drinking water by means of chemical agents or physical methods to reduce the number of micro-organisms to a level scientifically accepted level for food safety or its suitability.
Provided that sea water, before being subjected to the above treatments, shall be subjected to desalination and related processes.
3. It shall be filled in sealed containers of various compositions, forms and capacities that are suitable for direct consumption without further treatment. In case remineralization is a part of the treatment process, the ingredients used shall conform to food grade/pharma grade quality.
4. Packaged drinking water shall be clear without any sediments, suspended particles and extraneous matter. It shall also comply with the requirements given in Tables 1, 2, 3, 4, 5 and 6.

Table 1: Microbiological Requirements

Packaged drinking water shall comply with the following requirements:

Sr. No.	Characteristic	Permissible Limit
(1)	(2)	(3)
1.	<i>Coliform</i> bacteria, cfu/250 ml	Absent
2.	<i>Faecal Streptococci</i> , and <i>Staphylococcus aureus</i> , cfu /250 ml	Absent
3.	<i>Sulphite Reducing Anaerobes</i> , cfu/50 ml	Absent
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , cfu/250 ml	Absent
5.	Aerobic Microbial Count at 20-22° C in 72 h, cfu /ml, max at 37± 1° C in 24 h, cfu /ml, max	100 20
6.	Yeast and mould/ 250 ml	Absent
7.	<i>Salmonella</i> and <i>Shigella</i> , cfu/250 ml	Absent
8.	<i>Vibrio cholera</i> , and <i>V. parahaemolyticus</i> cfu/250 ml	Absent

Table 2 Organoleptic and physical parameters

Sr. No.	Characteristic	Permissible Limit
(1)	(2)	(3)
1.	Colour, true colour units, <i>Max</i>	2

2.	Odour	Agreeable as per IS-3025 Part 5 for odour.
3.	Taste	Agreeable [Action Tendency Scale a) or b) or c)] as per IS-3025 part 8 for taste.
4.	Turbidity, nephelometric turbidity unit (NTU), Max	2
5.	Total dissolved solids, mg/l, Max	500
6.	pH	6.0 - 8.5

Table 3 General parameters concerning substances undesirable in excessive amounts

Sr. No.	Characteristic	Permissible Limit
(1)	(2)	(3)
1.	Barium (as Ba), mg/l, Max	0.7
2.	Copper (as Cu), mg/l, Max	0.05
3.	Iron (as Fe), mg/l, Max	0.1
4.	Manganese (as Mn), mg/l, Max	0.1
5.	Nitrate (as NO ₃), mg/l, Max	45
6.	Nitrite (as NO ₂), mg/l, Max	0.02
7.	Fluoride (as F), mg/l, Max	1.0
8.	Zinc (as Zn), mg/l, Max	5
9.	Silver (as Ag), mg/l, Max	0.01
10.	Aluminium (as Al), mg/l, Max	0.03
11.	Chloride (as Cl), mg/l, Max	200
12.	Selenium (as Se), mg/l, Max	0.01
13.	Sulphate (as SO ₄), mg/l, Max	200
14.	Alkalinity (as HCO ₃), mg/l, Max	200
15.	Calcium (as Ca), mg/l, Max	75
16.	Magnesium (as Mg), mg/l, Max	30
17.	Sodium (as Na), mg/l, Max	200
18.	Residual free chloride, mg/l, Max	0.2
19.	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH),	Absent
20.	Mineral oil	Absent
21.	Anionic surface active agents (as MBAS), mg/l, Max	0.2
22.	Sulphide (as H ₂ S), mg/l, Max	0.05
23.	Antimony (as Sb), mg/l, Max	0.005
24.	Borates (as B), mg/l, Max	5
25.	Bromates (as BrO ₃), mg/l, Max	0.01

Table 4 Parameters concerning toxic substance

Sr. No.	Characteristic	Permissible Limit
(1)	(2)	(3)
1.	Mercury (as Hg), mg/l, Max	0.001
2.	Cadmium (as Cd), mg/l, Max	0.003
3.	Arsenic (as As), mg/l, Max	0.01
4.	Cyanide (as CN)	Absent
5.	Lead (as Pb), mg/l, Max	0.01
6.	Chromium (as Cr), mg/l, Max	0.05
7.	Nickel (as Ni), mg/l, Max	0.02
8.	Polychlorinated biphenyle (PCB)	Not detectable
9.	Polynuclear aromatic hydrocarbons	Not detectable

Table 5 Parameters concerning radio-active residues

Sr. No.	Characteristic	Permissible Limit
(1)	(2)	(3)
1.	Alpha emitters, Becquerel (Bq/l), <i>Max</i>	0.1
2.	Beta emitters, Becquerel (Bq/l), <i>Max</i>	1

Table 6 Parameters concerning pesticide residues

Sr. No.	Characteristic	Permissible Limit
(1)	(2)	(3)
1.	Pesticide residues considered individually	Not more than 0.0001 mg/l
2.	Total pesticide residue	Not more than 0.0005 mg/l

5. The product shall comply with labelling requirements as laid down under the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling), Regulations, 2011.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4Exty./305]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 3, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
- (iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
- (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
- (vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
- (vii) F.No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (ix) F.No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (x) F.No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xi) F.No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
- (xii) F.No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI- 2013, dated 11th January, 2016;
- (xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- (xiv) F.No. 15-03 Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016;
- (xv) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- (xvi) F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- (xvii) F. No.1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, 23rd August, 2016;
- (xviii) F.No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- (xix) F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- (xx) F.No.11/12/Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- (xxi) F. No.1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016 and
- (xxii) F.No. Stds/ SP (Water & Beverages) Notif(2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016.